

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016—आश्विन 8, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. ई-1-119-2016-5-एक.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च 2016 द्वारा श्री संजय गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) को दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 6 माह के जिला प्रशिक्षण के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टोरेट, जबलपुर पदस्थ किया गया है, तत्पश्चात् समसंख्यक पत्र दिनांक 15 जून 2016 द्वारा उक्त 26 सप्ताह का जिला प्रशिक्षण संशोधित कर 20 सप्ताह किया गया है.

(2) श्री संजय गुप्ता का जिला प्रशिक्षण दिनांक 30 सितम्बर 2016 को पूर्ण हो रहा है. श्री संजय गुप्ता को शेष प्रशिक्षण कलेक्टोरेट, जबलपुर के स्थान पर कलेक्टोरेट, भोपाल में लेने हेतु संबद्ध किया जाता है.

क्र. ई-5-594-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5 से 22 अक्टूबर 2016 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. ई-5-573-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एफको तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2016 द्वारा दिनांक 8 से 28 अगस्त 2016 तक इक्कीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 8 से 23 अगस्त 2016 तक सोलह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2016 अनुसार यथावत।

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2016 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 19, 20 नवम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 11, 12 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅटोनी डिसा, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1-57-2016-ब-2-दो.—श्री विनायक वर्मा, भापुसे., सहायक पुलिस अधीक्षक (परि.) महारापुरा, ग्वालियर को मारीशस जाने हेतु दिनांक 26 से 30 अप्रैल 2016 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश के साथ निजी विदेश यात्रा (Ex-India leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- (2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- (3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
- (4) स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र. एफ 1(ए)104-16-ब-2-दो.—श्री कार्तिकेयन के., भा.पु.से. (परि.) सेनानी 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर ने दिनांक 22 अगस्त 2016 से 5 सितम्बर 2016 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कार्तिकेयन के., भा.पु.से. (परि.) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सेनानी 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री कार्तिकेयन के., भा.पु.से. (परि.) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कार्तिकेयन के., भा.पु.से. (परि.) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)155-93-ब-2-दो.—श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, गुप्त/ओएसडी, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा स्वयं का उपचार बाम्बे हॉस्पिटल, मुंबई में कराने हेतु दिनांक 11 से 12 अगस्त 2016 तक दो दिवस चिकित्सा अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चार दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-2980-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 39, 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
39.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.	श्री प्रदीप सोनी (सीनियर), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.
46.	इन्दौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्र. 6, इन्दौर.	श्री सुरेश रणदिवे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 6, इन्दौर."

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)-2980-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 39, 46 and entries relating thereto, the following serial

numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
39.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 4, Gwalior.	Shri Pradeep Soni (Sr), Additional Sessions Judge, Special Court No. 4, Gwalior.
46.	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court No. 6, Indore.	Shri Suresh Randive, Additional Sessions Judge, Special Court No. 6, Indore."

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-2980-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 38 & 39 and entries relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3 Gwalior.	All electricity area of Civil District Gwalior (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at Serial Number 39 & Dabra).
39.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 4 Gwalior.	North Division of Civil District Gwalior & Electricity area of Goal Pahadia and Shinde ki Chawni."

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-2980-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 तथा 39 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :-

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 3, ग्वालियर.	सिविल जिला ग्वालियर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 39 एवं डबरा के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
39.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.	सिविल जिला ग्वालियर का उत्तर संभाग गोल पहाड़िया एवं शिंदे की छावनी का विद्युत् क्षेत्र."

फा. क्र. 17-(ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक)-3023-2016.—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. ब(एक)-3476-

2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33 एवं 41 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
“17.	इन्दौर	श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.
22.	गरोठ (मंदसौर)	श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंदसौर.
23.	मुरैना	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना.
24.	नरसिंहपुर	श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, नरसिंहपुर.
30.	रीवा	श्री रामजी गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा.
32.	सतना	श्री गोपाल श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सतना.
33.	सीहोर	श्री बी. एस. भदौरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सीहोर.
41.	टीकमगढ़	डॉ. सुभाष कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, टीकमगढ़”.

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें.

F.No. 17 (E)-44-2013-XXI-B(One)-3023-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20th September 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Table for serial number 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33 & 41 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name & Designation of the Judge (3)
“17.	Indore	Shri Santosh Prasad Shukla, V th Additional Session Judge, Indore.
22.	Garoth (Mandsaur)	Shri Shashendra Singh Thakur, Additional Session Judge, Garoth (Mandsaur).
23.	Morena	Shri Ramesh Kumar Shrivastava, IInd Additional Session Judge, Morena.
24.	Narsinghpur	Shri Prem Kumar Sinha, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Narsinghpur.
30.	Rewa	Shri Ramji Gupta, IInd Additional Session Judge, Rewa.
32.	Satna	Shri Gopal Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Satna.
33.	Sehore	Shri B. S. Bhadoriya, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore.
41.	Tikamgarh	Dr. Subhesh Kumar Jain, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Tikamgarh”.

(2) This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-3282.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्द्वारा, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम	पदस्थापना	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हरिशंकर वैश्य	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	20-10-2018
2	श्री अब्दुल जब्बार खान	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	5-11-2018
3	कु. भारती बघेल	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	9-11-2018
4	श्री सुरेश रणदिवे	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय विद्युत् अधिनियम, इन्दौर.	20-11-2018

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 17(ई) 43/2009-इक्कीस-ब(एक)-3113-2016.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 11, 13, 14, 30, 37 एवं 81 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“11.	श्री विकास शुक्ला, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
13.	श्री अजय सिंह ठाकुर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
14.	कु. सविता जडिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बैरसिया	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
30.	श्री राजेश शर्मा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	गुना	गुना	गुना	गुना
37.	श्री आशुतोष अग्रवाल, इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
81.	श्री दारासिंह मण्डलोई, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर.”

F.No. 17 (E)-43-2009-XXI-B(One)-3113-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E)-43-2009-XXI-B(One)-2251-13, dated 10th May 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Table for serial numbers 11, 13, 14, 30, 37 and 81 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate Level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“11.	Shri Vikash Shukla, IV Civil Judge-II	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
13.	Shri Ajay Singh Thakur III-Civil Judge-I.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
14.	Ku. Savite Jadia, Civil Judge-I.	Berasia	Bhopal	Berasia	Berasia
30.	Shri Rajesh Sharma, IV-Civil Judge-II.	Guna	Guna	Guna	Guna
37.	Shri Ashutosh Agrawal, XXI Civil Judge-I.	Indore	Indore	Indore	Indore
81.	Shri Dara Singh Mandloi, Civil Judge-I.	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur.”.

फा. क्र. 3(ए)03-2014-इक्कीस-ब(एक)-3122.—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में सचिव के दो रिक्त पदों पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-12-2011-3-एक, दिनांक 3 सितम्बर 2011 द्वारा निर्धारित तथा उल्लेखित मान्य शर्तों के अधीन क्रमशः दिनांक 30 सितम्बर 2016 तथा 8 अक्टूबर 2016 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष की वृद्धि करते हुए एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है :-

1. श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य
2. श्री रामप्रकाश शरण

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025 संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-3472.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के आगे उल्लिखित वर्तमान धारित पद की सेवा को आगे निरंतर न रखते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करता है :-

1. श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
2. श्री नारायण सिंह लावरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
3. श्री विमल कुमार जैन (सिंघई), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा, मध्यप्रदेश.

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-3514.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष

उल्लेखित नवीन पदस्थापना पर एतद्वारा, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

क्र.	नाम एवं पद	नवीन पदस्थाना
(1)	(2)	(3)
1	श्री ओमप्रकाश सोनारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (रिक्त पद).
2.	श्री अरूण कुमार सिंह (सीनियर), षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना (रिक्त पद).
3.	श्रीमती गिरिबाला सिंह, ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर (रिक्त पद).
4.	श्री रामानंद चंद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्यौंथर, जिला रीवा.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर (रिक्त पद).
5.	श्री श्याम सुंदर गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (रिक्त पद).

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

फाइल क्रमांक 3299-इक्कीस-ब(दो).— मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सुश्री सुषमा खोसला, न्यायिक सदस्य, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण को, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल का उपाध्यक्ष पदाभिहित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

फाइल क्रमांक 3299-इक्कीस-ब(दो).—संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3299-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 21 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

Bhopal, the 21st September 2016

File No. 3299-XXI-B(Two).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-a) of Section 4 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government, hereby designates Ms. Sushma Khosla, Judicial Member, Madhya Pradesh Arbitration Tribunal as vice-Chairman of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal from the date she assumes the charge of her office till she attains the age of 65 years.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
J. K. VAIDYA, Secy.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल के स्थान पर श्री अरूण कुमार पांडे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी, उपसचिव, वित्त विभाग के स्थान पर श्री दिनेश द्विवेदी, उपसचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्थान पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 1397.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं.
एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)

राजस्व ग्राम का नाम
एवं प. ह. नं.
(2)

ग्राम सूखापुरा, प. ह. नं. 46 से पृथक् किया गया
क्षेत्रफल 253.455 हेक्टेयर.

ग्राम पटी, प. ह. नं. 46

क्र. 1398.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं.
एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)

राजस्व ग्राम का नाम
एवं प. ह. नं.
(2)

ग्राम कचनरा, प. ह. नं. 54 से पृथक् किया गया
क्षेत्रफल 562.668 हेक्टेयर.

ग्राम लेडियाटोला, प. ह. नं. 54

क्र. 1399.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं.
एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)

राजस्व ग्राम का नाम
एवं प. ह. नं.
(2)

ग्राम चिखला, प. ह. नं. 36 से पृथक् किया गया
क्षेत्रफल 702.888 हेक्टेयर.

ग्राम चकरपाट, प. ह. नं. 36

क्र. 1400.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं.
एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)

राजस्व ग्राम का नाम
एवं प. ह. नं.
(2)

ग्राम प्रतापगढ़ बादला, प. ह. नं. 20 से पृथक् किया गया
क्षेत्रफल 669.771 हेक्टेयर.

ग्राम फासीढाना, प. ह. नं. 20

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त 2016

नस्ती क्र. 120-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-15-16.—उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक इंदौर डब्ल्यू-335-4-दिनांक 31 अक्टूबर 2015 से ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी के विभिन्न सर्वे नंबरों की निजी कृषि भूमि रकबा 0.280 हे. व उस पर स्थित परिसंपत्तियां, खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहण के प्रस्ताव कलेक्टर जिला खण्डवा को प्रस्तुत किये गये. अधिनियम की धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना एवं धारा 19 उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्यवाही की गयी. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 335-4, दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा भू-अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने (1 से 9) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (9) में उसके सामने दिये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 93 अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत कॉलम नं. (4) से (7) में उल्लेखित सर्वे नंबर एवं भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अधिनियम की धारा 19 के तहत निम्न सर्वे नंबर प्रस्तावित थे	अधिनियम की धारा 93 के तहत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाले सर्वे नं. का ब्यौरा	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	खसरा नं. रकबा (हे.में)	खसरा नं. रकबा (हे. में)	(8)	(9)
खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	277 0.030	277 0.030	उपमुख्य इंजीनियरिंग (निर्माण पश्चिम रेल्वे इंदौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
		तरफ	285	285		
		कुन्बी	284 0.020	284 0.020		
			286	286		
			292	292		
			408 0.230	408 0.230		
		योग	06 खसरा 0.280	06 खसरा 0.280		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 2460-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर फेस-2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम — खारपा
(2) तहसील — कन्नौद

- (3) जिला — देवास
(4) कुल प्रस्ताव — 1

क्र.	पूरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री फुगन पिता इस्माईल, जाति मेवाती	13	0.07
2	श्री शब्बा पिता इस्माईल, जाति मेवाती	14	0.07
3	श्री मोर खां पिता हीरे खां, जाति मेवाती	19	0.14
4	श्री अनवर खां पिता नजीर खां, जाति मेवाती	192/1	0.14
5	श्री रामसिंह पिता बृजलाल, जाति माली	193/1	0.04
6	श्री सुनिल पिता रामसिंह, जाति माली	201	0.13
7	श्री अजीज खां पिता गुलाब खां	215	0.13
8	श्री सरजीत, खातुनबाई पिता आजम, शब्बीर खां, अजीज खां	181	0.06
9	श्रीमति मानोबाई पति चांद खां, जाति मेवाती	180	0.06
10	श्री इनूस खां पिता हसन खां, जाति मेवाती	179/1	0.05
11	श्री सरजीत, खातुनबाई पिता आजम शब्बीर खां, अजीज खां भुरू खां	178	0.03
12	श्री मुकेश पिता छितर अ. प. का चिरागबाई पति छितर जाति माली	172	0.02
13	श्री कांतीबाई पति केदार, जाति माली	171	0.02
14	श्री बलराम पिता गब्बु धापुबाई बेवा गबु, जाति माली	167	0.10
15	श्री समीद खां पिता असरफ खां, जाति मेवाती	316	0.03
16	श्री हमीद खां, पिता असरफ खां, जाति मेवाती	317	0.03
17	श्री हमीद खां पिता असरफ खां, जाति मेवाती	315/1	0.0176
18	श्री समीद पिता असरफ खां, जाति मेवाती	315/2	0.0176
19	श्री हकीम पिता मेहबूब खां, जाति मेवाती	304/2	0.11
20	श्री भूरे खां, हिरे खां, मीर खां, मेहबूब खां, बन्तो बाई आसनबाई	306	0.08
21	श्री जगदीश पिता बटु, जाति माली	270	0.21
22	श्री ललीत अंकीत पिता सुमरत अपाक मा. सुनीता बाई पति सुमरत, जाति माली.	271	0.12
23	श्री सुमरतलाल पिता बटु, जाति माली	272/1	0.003
24	श्री रासतखां पिता समीद खां, जाति मेवाती	269/2	0.044
25	श्री सलाउद्दीन पिता समीद खां, जाति मेवाती	256	0.154

कुल सर्वे नम्बर-25

कुल प्रस्ताव-1

- (2) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
- (3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 24 अगस्त 2016

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-2434-एस.डब्ल्यू.16-बंधक श्रम-2016.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के लिये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का पुनर्गठन करता हूँ :-

जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, देवास, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (2) "अ" के अधीन जिला दण्डाधिकारी, देवास

अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (2) "ब" के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | श्री कैलाश डाबी, (अ. जा.)
निवासी 51 मोती बंगला, देवास. | सदस्य |
| 2. | श्री बजरंग बैरवा, (अ. जा.)
निवासी 32/2 बालगढ़ रोड देवास. | सदस्य |
| 3. | श्री डोंगर सिंह पिता भीलू सिंह (अ.ज.जा.)
निवासी भील आमला, तह. हाटपिपल्या, जिला देवास
मोबाईल नम्बर—9926548639 | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (2) "स" के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | श्री मोतीलाल पटेल
निवासी बागली, जिला देवास. | सदस्य |
| 2. | श्री गोपाल पंवार, अभिभाषक
निवासी 41, राज भवन, नयापुरा, देवास. | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (2) "द" के अधीन—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | पुलिस अधीक्षक, देवास | सदस्य |
| 2. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास | सदस्य |
| 3. | जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, देवास | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (2) "ई" के अधीन—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जिला देवास | सदस्य |
|----|--|-------|

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-2441-एस.डब्ल्यू.16-बंधक श्रम-2016.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के उपखण्डों के लिये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों का पुनर्गठन करता हूँ :-

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उपखण्ड सोनकच्छ, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) "अ" के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सोनकच्छ

अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) "ब" के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य—

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | श्री सुरजमल बुनकर सोनकच्छ | सदस्य |
| 2. | श्रीमती गीता बाई पति प्रेम मालवीय (अ.जा.)
अयोध्या बस्ती वार्ड क्रमांक 14, सोनकच्छ. | सदस्य |
| 3. | श्री प्रेमसिंह मालवीय, सोनकच्छ | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "स" के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री राधेश्याम गजेश्वर, सोनकच्छ | सदस्य |
| 2. सुश्री कविता पिता मनोहरलाल सोनी, अभिभाषक, सोनकच्छ | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "द" के अधीन—

- | | |
|---|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोनकच्छ/टोंकखुर्द | सदस्य |
| 2. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सोनकच्छ/टोंकखुर्द | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "ई" के अधीन—

- | | |
|--|-------|
| 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सोनकच्छ | सदस्य |
|--|-------|

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
तहसीलदार, तहसील सोनकच्छ/टोंकखुर्द

सचिव

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, देवास, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) "अ" के अधीन अनुविभागीय देण्डाधिकारी, देवास,

अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) "ब" के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य—

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री सालीगराम पिता छिता जी मालवीय
निवासी सुनवानी गोपाल, देवास. | सदस्य |
| 2. श्री रामेश्वर पिता भवानीराम दायमा
निवासी 20/3 भवानी सागद, देवास. | सदस्य |
| 3. श्रीमती रजनी पति जगदीश वर्मा
निवासी 18 वासुदेव पुरा, देवास. | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "स" के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

- | | |
|---|-------|
| 1. श्री दिनेश पिता बालकिशन भूतड़ा
निवासी सुभाष चौक, देवास. | सदस्य |
| 2. श्री भारत सिंह पटलावदा
निवासी ग्राम पटलावदा, तहसील देवास. | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "द" के अधीन—

- | | |
|--|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देवास | सदस्य |
| 2. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, देवास | सदस्य |
| 3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, देवास | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "ई" के अधीन—

- | | |
|--|-------|
| 1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, देवास | सदस्य |
|--|-------|

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
तहसीलदार, तहसील देवास.

सचिव

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, कन्नौद, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) "अ" के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कन्नौद,

अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) "ब" के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | श्री प्रहलाद धानवे (अ.जा.), ग्राम गुडवेल, तहसील कन्नौद | सदस्य |
| 2. | श्री महेश कोंडरे (अ.जा.), कन्नौद, जिला देवास | सदस्य |
| 3. | श्री रघुवीर कर्मा (अ.जा.), ग्राम नान्दौन, तह. कन्नौद | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "स" के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | श्री पवन जैन, निवासी, कन्नौद, जिला देवास | सदस्य |
| 2. | श्री संजय जोशी, निवासी कन्नौद, जिला देवास | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "द" के अधीन—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कन्नौद | सदस्य |
| 2. | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत, कन्नौद | सदस्य |
| 3. | परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, कन्नौद | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "ई" के अधीन—

- | | | |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1. | प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कन्नौद | सदस्य |
|----|--------------------------------------|-------|

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
तहसीलदार, तहसील कन्नौद.

सचिव

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, खातेगांव, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) "अ" के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खातेगांव,

अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) "ब" के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | श्री माखन राठौर (अ.जा.), निवासी खातेगांव, जिला देवास | सदस्य |
| 2. | श्री कचरुलाल सांवले (अ.जा.), निवासी खातेगांव, जिला देवास | सदस्य |
| 3. | श्री दिनेश बघेल (अ.जा.), निवासी नेमावर, जिला देवास | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "स" के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | श्री मनोज बज, निवासी खातेगांव, जिला देवास | सदस्य |
| 2. | श्री दिपक शर्मा, निवासी खातेगांव, जिला देवास | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा (3) "द" के अधीन—

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खातेगांव | सदस्य |
| 2. | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत, खातेगांव | सदस्य |

3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, खातेगांव सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) "ई" के अधीन—

1. प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खातेगांव सदस्य

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी सचिव
तहसीलदार, तहसील खातेगांव.

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, बागली, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) "अ" के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बागली, अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा (3) "ब" के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य—

1. श्री नरु पिता मोहन कोरकु (अ.ज.जा.) ग्राम हरमबडी सदस्य
2. श्री रेमसिंह पिता हरेसिंह भिलाला (अ.ज.जा.), ग्राम पिपल्या लोहार सदस्य
3. श्री प्रह्लाद पिता अमराजी जाटवा (अ.जा.), ग्राम भमोरी सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) "स" के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

1. श्री गंगाराम पिता सिद्धनाथ पाटीदार, ग्राम चापडा सदस्य
2. श्री राजेन्द्र सिंह पिता देवकरण सिंह सेंधव, ग्राम गुनेरा सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) "द" के अधीन—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बागली सदस्य
2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत, बागली सदस्य
3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, बागली सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) "ई" के अधीन—

1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा, बागली सदस्य

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

तहसीलदार, तहसील बागली. सचिव

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन,
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99-एक.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-16-76-2000-एक-77, दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा आयोग की सेवा में निगम/मण्डल के निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :—

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे	पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था	संविलियन किये गये पद का वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री दिनेश पण्ड्या	वरिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.	सहायक प्रोग्रामर	4500—7000
2.	श्री नरेन्द्र शर्मा	कनिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.	सहायक ग्रेड-3	3050—4590
3.	श्री श्रीकांत भोजने	कनिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.	सहायक ग्रेड-3	3050—4590
4.	श्री रामू शर्मा	भृत्य, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम, भोपाल.	भृत्य	2550—3200

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवाशर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99-एक-1273, दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव (प्रारूप) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवाशर्तें जारी की जाती हैं :—

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 के नियम 6 (भर्ती का तरीका) के उपनियम (1) की कण्डिका (ग) एवं (घ) निम्नानुसार है :—

- (ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;
(घ) कण्डिका (ग) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी, जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई, 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी, 1994 से मानी जावेगी.

(दो) **वेतन का निर्धारण.**—(अ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :—

- (1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.
- (2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने के लिये हिसाब में लिया जाएगा.
- (3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि “व्यक्तिगत वेतन” के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.

(तीन) **वरिष्ठता का निर्धारण.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

- (1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3)(ग).
- (2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. (नियम 12(3)(घ).

(चार) **सेवा भंग.**—पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) **सीधी भरती माना जाएगा.**—अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Initial Repeat Stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न “सीधी भरती” किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः) **अवकाश.**—(1) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64, दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :-

स.क्र. (1)	नाम कर्मचारी (2)	पदनाम (3)	संविलियन दिनांक (4)	संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)
1	श्री दिनेश पण्ड्या	सहायक प्रोग्रामर	1-3-1999	7-8-1987 से 28-2-1999
2	श्री नरेन्द्र शर्मा	सहायक ग्रेड-3	20-4-1999	1-11-1996 से 19-4-1999
3	श्री श्रीकांत भोजने	सहायक ग्रेड-3	9-12-1999	19-10-1993 से 8-12-1999
4	श्री रामू शर्मा	भृत्य	14-10-1999	17-8-1987 से 13-10-1999

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99-एक.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-102-एक-94-1747, दिनांक 17 जुलाई 1998 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 1 जून 1998 से निगम/मण्डल के निम्न कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-

स.क्र. (1)	कर्मचारी का नाम (2)	पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे (3)	पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था (4)	संविलियन किये गये पद का वेतनमान (5)
1	श्री रामचरण कुशवाह	वाहन चालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, भोपाल.	वाहन चालक	950—1530

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवा शर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99-एक-1273, दिनांक 20 जून 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव (प्रारूप) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवा शर्तें जारी की जाती हैं :-

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 के नियम 6 (भर्ती का तरीका) के उपनियम 1 की कण्डिका (ग) एवं (घ) निम्नानुसार है :-

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;

(घ) कण्डिका (ग) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी, जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.

(दो) **वेतन का निर्धारण.**—(अ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :—

- (1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.
- (2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना के लिये हिसाब में लिया जाएगा.
- (3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि "व्यक्तिगत वेतन" के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.

(तीन) **वरिष्ठता का निर्धारण.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

- (1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3)(ग).
- (2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12(3)(घ).

(चार) **सेवा भंग.**—पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) **सीधी भरती माना जाएगा.**—अन्य विभागों के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Initial Repeat stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न "सीधी भरती" किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः) अवकाश.—(1) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी।

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा। साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64, दिनांक 17 मार्च 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा।

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :—

स.क्र. (1)	नाम कर्मचारी (2)	पदनाम (3)	संविलियन दिनांक (4)	संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)
1	श्री रामचरण कुशवाह	वाहन चालक	1-6-1998	13-8-1991 से 31-5-1998

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99-एक.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-12-एक-95-2505, दिनांक 17 जुलाई 1997 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 1 जुलाई 1997 से निगम/मण्डल के निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :—

स.क्र. (1)	कर्मचारी का नाम (2)	पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे (3)	पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था (4)	संविलियन किये गये पद का वेतनमान (5)
1	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	लेखापाल, मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, भोपाल.	वरिष्ठ सहायक	1400—2640
2	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला	लेखापाल, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल.	वरिष्ठ सहायक	1400—2640
3	उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	केशियर, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल.	लेखापाल	1320—2040

उक्त आदेश की कण्डिका 2 में उपर्युक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता वेतन निर्धारण आदि के संबंध में आदेश राज्य शासन के नियमानुसार जारी किये जाने का उल्लेख किया गया था।

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवा शर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99-एक-1273, दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव (प्रारूप) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवा शर्तें जारी की जाती हैं :—

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 के नियम 6 (भर्ती का तरीका) के उप नियम (1) की कण्डिका (ग) एवं (घ) निम्नानुसार है :—

- (ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;
- (घ) कण्डिका (ग) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी, जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है। आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 1997 को हुआ था। इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी।

(दो) वेतन का निर्धारण.—(अ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :—

- (1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा।
- (2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा। अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना के लिये हिसाब में लिया जाएगा।
- (3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि “व्यक्तिगत वेतन” के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा।

(तीन) **वरिष्ठता का निर्धारण.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

- (1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3)(ग).
- (2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12(3)(घ).

(चार) **सेवा भंग.**—पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) **सीधी भरती माना जाएगा.**—अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Initial Repeat stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न "सीधी भरती" किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः) **अवकाश.**—(1) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64, दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :—

स.क्र. (1)	नाम कर्मचारी (2)	पदनाम (3)	संविलियन दिनांक (4)	संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)
1	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	वरिष्ठ सहायक	1-7-1997	15-12-1989 से 30-6-1997
2	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला	वरिष्ठ सहायक	1-7-1997	11-5-1988 से 30-6-1997
3	उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	लेखापाल	1-7-1997	20-5-1988 से 30-6-1997

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99-एक.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-1-3-99-एक-1261, दिनांक 10 नवम्बर 2000 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 10 नवम्बर 2000 से निगम/मण्डल के निम्न कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :—

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे	पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था	संविलियन किये गये पद का वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सतीश व्यास	सहायक लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम, भोपाल.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	5000—8000

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवाशर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99-एक-1273, दिनांक 20 जून 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव (प्रारूप) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवाशर्तें जारी की जाती हैं :—

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 के नियम 6 (भर्ती का तरीका) के उपनियम (1) की कण्डिका (ग) एवं (घ) निम्नानुसार है :—

- (ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;
- (घ) कण्डिका (ग) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी, जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है। आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई, 1997 को हुआ था। इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी।

(दो) वेतन का निर्धारण.—(अ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :—

- (1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा।
- (2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा। अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने के लिये हिसाब में लिया जाएगा।

- (3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि "व्यक्तिगत वेतन" के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.

(तीन) **वरिष्ठता का निर्धारण.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

- (1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3)(ग).
- (2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12(3)(घ).

(चार) **सेवा भंग.**—पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) **सीधी भरती माना जाएगा.**—अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Initial Repeat Stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न "सीधी भरती" किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः) **अवकाश.**—(1) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64, दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :—

स.क्र. (1)	नाम कर्मचारी (2)	पदनाम (3)	संविलियन दिनांक (4)	संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)
1.	श्री सतीश व्यास	कनिष्ठ लेखाधिकारी	10-11-2000	29-12-1986 से 9-11-2000

हस्ता./—
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(2), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले की जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

धारा 13 की उपधारा (2) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—कलेक्टर, होशंगाबाद

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (2) (बी) के अधीन—तीन

1. श्रीमती प्रमिला अतुलकर,
वार्ड क्र. 26, नाला मोहल्ला, इटारसी
मो. नं.—9303473608.
2. श्री रूपचंद अहिरवार,
वार्ड क्र. 08, बंगलिया, इटारसी,
मो. नं.—9926367905.
3. श्री पूनम मेषकर,
वार्ड क्र. 28, हरिजन छात्रावास के बाजू में, होशंगाबाद,
मो. नं.—9827341360.

धारा 13 की उपधारा (2) (सी) के अधीन—दो

1. श्री संदीप तिवारी,
वार्ड क्र. 17, एक्सीलेंस स्कूल, सोनासांवरी नाका, इटारसी
मो. नं.— 9827279238.
2. श्री राकेश गौर,
वार्ड क्र. 15, ईश्वर रेस्टोरेंट, इटारसी
मो. नं.—9826445359.

धारा 13 की उपधारा (2) (डी) के अधीन—तीन

1. पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, होशंगाबाद

धारा 13 की उपधारा (2) (ई) के अधीन—एक

1. लीड बैंक मैनेजर, होशंगाबाद

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—में, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग सोहागपुर के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूँ. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री कमल किरार/श्री नन्हू सिंह किरार
119, मातापुरा वार्ड, सोहागपुर,
मो. नं.—7566866707.
2. सुश्री वर्षा दोहरे/ श्री रमेश दोहरे
मुसलमानी मोहल्ला, सेमरी हरंचद
मो. नं.—8602119784.
3. श्री रवि प्रकाश/श्री लालचंद कोरी
रामगंज वार्ड, सोहागपुर,
मो. नं.—9425438060.

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्री अरविंद ठाकुर/श्री भगवत ठाकुर
ग्राम-करनपुर, तहसील-सोहागपुर,
मो. नं.—7389635352.
2. श्री ललित कुमार/मानकलाल गढ़वाल,
गांधी वार्ड, सोहागपुर,
मो. नं.—9584482608.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—तीन

1. थाना प्रभारी, थाना सोहागपुर
2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक, सोहागपुर
3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीन—एक

1. तहसीलदार, सोहागपुर

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग सिवनीमालवा के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूँ. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, सिवनीमालवा

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री संजय केथवास/श्री हरिशंकर केथवास,
मकान 04, फाईल मोहल्ला, वार्ड क्र. 01,
रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
मो. नं.—9926669844.
2. श्री राकेश भिलाला/श्री धनराज भिलाला,
मकान 43, फाईल मोहल्ला, वार्ड नं. 01,
रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
मो. नं.—7697117769.
3. श्रीमती नीलकमल/स्व. श्री राधेमोहन उपाध्याय
ग्राम नंदरवाड़ा, तह.—सिवनीमालवा,
मो. नं.—8120123476

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्रीमती वंदना/श्री भगवती प्रसाद पालीवाल
रामगली वार्ड नं. 01,
रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
मो. नं.—9009250360.
2. श्री नितिन कुमार/स्व. श्री गुलाबचंद्र चौकसे,
मकान 36, फाईल मोहल्ला, वार्ड नं. 01,
रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
मो. नं.—8602912914.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—तीन

1. परियोजना अधिकारी, आई. सी. डी. एस. सिवनीमालवा
2. राजस्व निरीक्षक, सिवनीमालवा
3. राजस्व निरीक्षक, सिवनीमालवा

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सिवनीमालवा

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीन—एक

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिवनीमालवा.

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्द्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग पिपरिया के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूँ. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री अनिल साहू/स्व. श्री बलराम साहू,
ग्राम-हथवॉस, तहसील पिपरिया,
मो. नं.—8827074332
2. श्री समरसिंह/श्री कृष्णपाल सिंह
पचमढी रोड, पिपरिया,
मो. नं.—9589253999
3. श्रीमती उषा उईके/स्व. श्री प्रेमलाल जी उईके
पुराना बाजार तिवारी वार्ड, बनखेड़ी.

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्री सुरेश चन्द्र/श्री कालीचरण दुबे,
बनखेड़ी तहसील, बनखेड़ी,
मो. नं.—9424483237.
2. श्री राजाराम पटैल/श्री गुलाबसिंह पटैल
ग्राम नयागांव, तहसील बनखेड़ी,
मो. नं.—9926509696

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—पांच

1. परियोजना अधिकारी, पिपरिया, महिला बाल विकास, पिपरिया
2. परियोजना अधिकारी, बनखेड़ी, महिला बाल विकास, पिपरिया
3. राजस्व निरीक्षक, मटकुली
4. राजस्व निरीक्षक, तरौनकला
5. राजस्व निरीक्षक, बनखेड़ी.

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, पिपरिया

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीन—एक

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिपरिया.

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्द्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग इटारसी के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूँ. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री प्रहलाद निकम/श्री रामदास निकम,
604, साईं नगर, न्यू यार्ड, इटारसी,
मो. नं.—9329659660
2. श्री अभय अल्पयूज/श्री ई. जी. अल्पयूज
काली दरबार, गांधी नगर, इटारसी,
मो. नं.—9424436206.
3. श्रीमती जयश्री परते/श्री वीरेन्द्र परते,
जय प्रकाश नगर, पुरानी इटारसी,
मो. नं.—8889516644.

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्री संजय परते/सत्यनारायण परते
ग्राम-रामपुर, तह.-इटारसी,
2. प्रबंधक, जीवोदय संस्था,
जीवोदय संस्था, नेहरूगंज, इटारसी
मो. नं.—9977575486.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—तीन

1. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, केसला, विकास खण्ड, केसला
2. अधीक्षक, बोरी अभ्यारण्य, इटारसी
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, केसला

धारा 13 की उपधारा (2) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक, कोऑपरेटिव बैंक, इटारसी.

धारा 13 की उपधारा (2) (एफ) के अधीन—एक

1. तहसीलदार, इटारसी.

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग होशंगाबाद के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूँ. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री ताराचंद्र कदम/स्व. श्री तुलसीराम कदम
बालागंज, होशंगाबाद,
मो. नं.—9993062957.
2. श्रीमती पूजा भारदेव/श्री नर्मदा प्रसाद भारदेव
बालागंज, होशंगाबाद,
मो. नं.—9907598941.
3. श्री डालचंद्र सोना/स्व. श्री अमर सिंह सोना
बालागंज, होशंगाबाद,
मो. नं.—7805012135.

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्री मनीष परदेशी/श्री चंदूलाल परदेशी
वार्ड नं. 13, एस. पी. ऑफिस के सामने,
कोठी बाजार, होशंगाबाद,
मो. नं.—9301888193.
2. श्री अनोखीलाल राजौरिया
शिव मंदिर के पास, आई. टी. आई, होशंगाबाद,
मो. नं.—9826294185.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—तीन

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, होशंगाबाद
2. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, डोलरिया,
3. उपयंत्री, सिंचाई विभाग, बाबई.

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निमसाड़िया

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीन—एक

1. तहसीलदार, होशंगाबाद.

संकेत भोडंवे, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी.

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधन

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. 2016-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को प्रश्न-पत्र-वन विधि प्रथम (बिना पुस्तकों के) तथा प्रश्न-पत्र-सामान्य विधि द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय की संपन्न की गई थी, जिसमें निम्नलिखित परीक्षार्थी का “वन क्षेत्रपाल” पदनाम उपायुक्त राजस्व कार्यालय नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, जो लिपिकीय त्रुटिवश था. इसकी पुष्टि उपरान्त निम्नलिखित परीक्षार्थी का “वन क्षेत्रपाल” पदनाम के स्थान पर “सहायक वन संरक्षक” पदनाम किया जाकर, परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री भारत सोलंकी	सहायक वन संरक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. एफ 7-6-2016-छैः.—भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के शासन द्वारा जारी किये गये ऐलान, होम डिपार्टमेंट मतबुआ, ग्वालियर राज्य गजट, दिनांक 10 जनवरी 1920 के कॉलम नम्बर 5 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-6-1993-छः, दिनांक 30 अक्टूबर 1995 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के पब्लिक परस्तिशगाहों के वक्फ के इन्तजाम के लिए मुकरर औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में, इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त करता है, अर्थात्:—

1.	आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन	सदस्य
3.	आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना	सदस्य
4.	श्री तारासिंह, पिता बापूसिंह, निवासी ग्राम डबरा राजपूत, तहसील तराना, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश).	सदस्य
5.	श्री विवेक जोशीजी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश	सदस्य
6.	श्री धर्मस्वरूप भार्गवजी, गुना, मध्यप्रदेश	सदस्य
7.	औकाफ एवं माफी आफीसर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)	सदस्य/सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-03-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम 2015, बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	अनुसूची		सीमायें
				कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दक्षिण बालाघाट	वारासिवनी सामान्य	बाटनीकल गार्डन, गरा बालाघाट	आरक्षित वन-513	45.00	पूर्व—वैनगंगा नदी पश्चिम—ग्राम गरा राजस्व क्षेत्र उत्तर—RF 513 दक्षिण—ग्राम गरा राजस्व क्षेत्र.
2		बालाघाट सामान्य	गांगुलपारा जलाशय	आरक्षित वन-132,133,131, 136'अ', 136'ब'	925.736	पूर्व—RF 130,137 एवं PF 679 A, 679 B पश्चिम—RF 134 उत्तर—RF 109,110, 111 दक्षिण—RF 135, 153, PF 666, 680, 681 एवं ग्राम पिपरटोला, केरा राजस्व क्षेत्र.
			बजरंग घाट एवं शंकर घाट, बालाघाट.	आरक्षित वन-818	182.567	पूर्व—बालाघाट शहर राजस्व क्षेत्र पश्चिम—वैनगंगा नदी उत्तर—ग्राम बुढ़ी, बालाघाट शहर राजस्व क्षेत्र दक्षिण—बालाघाट-सिवनी पी.डब्ल्यू.डी. सड़क एवं कक्ष क्रमांक 819.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-03-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-03-2016-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2016

No. F-15-03-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government

declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	South Balaghat	Varaseoni (T)	Botanical Garden Garrah	RF 513	45.00	East—Wainganga river West—Revenue area of village Garrah. North—RF 513 South—Revenue area of village Garrah.
2	South Balaghat	Balaghat (T)	Gangulpara Tank	RF 132, 133, 131, 136A, 136 B	925.736	East—RF 130, 137, PF 679A, 679B. West—RF 134 North—RF 109, 110, 111 South—RF 135, 153, PF 666, 680, 681 and revenue area of village Pipertola & Kera.
3	South Balaghat	Balaghat (T)	Bajrang Ghat and Shankar Ghat	RF 818	182.567	East—Revenue area of Balaghat city. West—Wainganga River North—Village Boodi and revenue area of Balaghat city. South—Balaghat to Seoni PWD road and compartment No. 819.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-112-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, 22° 15'46.14" से 22° 16'47.400" उत्तर अक्षांश तथा 75°33'29.68" से 75°34'16.33" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—महेश्वर, वनमंडल—सामान्य वनमण्डल बड़वाह, वनपरिक्षेत्र—काकड़दा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
(1)	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(7)
1	आशापुर	आशापुर	चरनोई	557/1 557/2 557/4 557/5	15.989 15.943 1.324 11.284	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 16 की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 16 से 18 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					44.540	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83-FC दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.540 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक 1481/वाचक-1/2003 दिनांक 07-06-2003 एवं क्रमांक 23 अ-74/2007-2008 दिनांक 12-06-2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, महेश्वर के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार —निरंक
- (2) सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-112-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-112-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-112-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22° 15' 46.14" to 22° 16' 47.400" North Latitude and 75° 33' 29.68" to 75° 34' 16.33" East Longitude :—

SCHEDULE**District—Khargone, Tehsil—Maheshwar, Forest Division—Barwaha, Forest Range—Kakarda**

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ashapur	Ashapur	Grazing land	557/1 557/2 557/4 557/5	15.989 15.943 1.324 11.284	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 16 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 18 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 01 of Protected Forest Block.
Total					44.540	

(A) Reason for publication of Notification % &

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./D-372/83-FC dated 08 September 1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Ghati Vikas, the above

mentioned Non Forest Land of 44.540 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No. 1481/वाचक-1/2003 Dated 07-06-2003 & 23अ-74/2007-2008 Dated 12-06-2008 Collector Khargone for the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons—Compensatory A forestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated NIL of Tehsildar Maheshware are as under.

1. Individual Rights—Nil.

2. Community Rights—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-113-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 22° 08'15" से 22° 08'28" उत्तर अक्षांश तथा 75°28'38" से 75°28'58" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—कसरावद, वनमण्डल—खरगौन, वनपरिक्षेत्र—कसरावद

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पानवा	पानवा	ना.का.च.	114	12.747	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					12.747	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83-FC दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.747 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 732/वाचक-1/2002 दिनांक 26-4-2002 एवं आदेश क्रमांक/382/वाचक-2/2008 दिनांक 25-06-2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार—निरंक
- (2) सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-113-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-113-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-113-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°08'15" to 22°08'28" North Latitude and 75°28'38" to 75°28'58" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Kasrawad, Forest Division—Khargone, Forest Range—Kasrawad

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panwa	Panwa	ना.का.च.	114	12.747	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to 08 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 01 of Protected Forest Block.
Total					12.747	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./8-372/83-F.C. dated 08 September 1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Valley Development authority, the above mentioned Non Forest Land of 12.747 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No. 732/वाचक-1/2002 Dated 26-04-2002 and order No./ 382/वाचक-2/2008 Dated 25-06-2008 of District Additional Revenue Court Khargon the purpose of compensatory a forestation.
- Details of other Reasons—Compensatory A forestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated of NIL Designation of Competent Revenue office Tehsildar Kasrawad are as under.

- 1. Individual Right—Nil.**
- 2. Community Right—Nil.**

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-114-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 21° 46'16.45'' से 21° 46'44.030'' उत्तर अक्षांश तथा 75°21'03.160'' से 75°21'34.74'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—सेगांव, वनमंडल—खरगौन, वनपरिक्षेत्र—खरगौन

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उपड़ी	उपड़ी	ना.का.च.	75 84 88	10.178 26.00 10.987	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 8 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 26 की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 26 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					47.165	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83-एफ.सी दिनांक 8- 9-1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 47.165 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण क उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/9/ वाचक/ 2000 दिनांक 03-01-2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, सेगांव के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार—निरंक
- (2) सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-114-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-114-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-114-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21°46'16.45" to 21°46'44.030" North Latitude and 75°21'03.160" to 75°21'34.74" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Segao, Forest Division—Khargone, Forest Range—Khargone

S. No.	Detail of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Upadi	Upadi	ना.का.च.	75 84 88	10.178 26.00 10.987	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 08 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 26 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to 04 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	47.165	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./D-372/83-F.C. dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada vally Development Authority, the above mentioned Non forest land of 47.165 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No. 9/Reader-1/2000 dated 3rd January 2001 of Disrict Additional Revenue court Khargon the purpose of compensatory a forestation.
- Details of other Reasons—Compensatory A forestation.**

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Nil dated of Nil Designation of Competent Revenue officer) Tehsildar Segao are as under.

- Individual Rights**—Nil.
- Community Rights**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-115-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 22° 06'43'' से 22° 07'01'' उत्तर अक्षांश तथा 75°28'12'' से 75°28'48'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—खरगौन, तहसील—कसरावद, वनमंडल—खरगौन, वनपरिक्षेत्र—कसरावद

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महाराजखेड़ी	महाराजखेड़ी	ना.का.च.	23 26/3	21.00 8.396	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
				योग :	29.396	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83-एफ.सी दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 29.396 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/225/वाचक-1/92, दिनांक 7 मार्च, 1992 एवं आदेश क्रमांक/380/वाचक-2/2008, दिनांक 25 जून, 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण—क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार —निरंक
- (2) सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-115-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-115-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-115-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°06'43'' to 22°07'01'' North Latitude and 75°28'12'' to 75°28'48'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Kasrawad, Forest Division—Khargone, Forest Range—Kasrawad,

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries (7)
	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (in Hectare) (6)	
1	Mahrajkhedi	Mahrajkhedi	ना.का.च.	23 26/3	21.00 8.396	<p>North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 07 of Protected Forest Block.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to 08 of Protected Forest Block.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 12 of Protected Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 01 of Protected Forest Block.</p>
				Total	29.396	

(1) Reason for publication of Notification.—

- A. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./8-372/83-FC dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada vally Development Authority the above mentioned Non forest land of 29.396 hechatre transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No.225/वाचक0-1/ 92 dated 7th March 1992 of District Additional Revenue court Khargon the purpose of compensatory a forestation.

2. Detail of other Reasons—Compensatory A forestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated of Nill Designation of Competent Revenue officer Tehsildar Kasrawad are as under.

1. Individual Right—Nil.
2. Community Right—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1929.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-116-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. ये वनखण्ड निम्नलिखित सूची के कालम (8) में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के बीच स्थित हैं:—

अनुसूची

जिला—खरगौन, तहसील—बड़वाह, वनमंडल—सामान्य वनमण्डल बड़वाह, वनपरिक्षेत्र—सनावद

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं	अक्षांश एवं देशांश की सूची
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	अम्बा 'अ'	अम्बा	चरनोई	331/2	1.392	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 6 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22° 1' 38.122" to N 22° 1' 30.166", E 75° 55' 4.066" to E 75° 55' 21.848".
					योग :	1.392	
2	अम्बा 'ब'	अम्बा	चरनोई	331/3	2.501	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22° 1' 35.409" to N 22° 1' 46.694", E 75° 55' 37.777" to E 75° 55' 42.745".
					योग :	2.501	
3	अम्बा 'स'	अम्बा	चरनोई	331/5	2.327	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 के मध्य स्थित. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22° 1' 35.587" to N 22° 1' 38.053", E 75° 55' 39.091" to E 75° 55' 44.082".
					योग :	2.327	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	अम्बा 'द'	अम्बा	चरनोई	331/4	0.060	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 के मध्य स्थित. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22° 1' 36.826" to N 22° 1' 45.608", E 75° 55' 43.777" to E 75° 56' 5.992".
					योग :		0.060
5	अम्बा 'इ'	अम्बा	चरनोई	331/7	0.259	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22° 1' 9.187" to N 22° 1' 11.0.20", E 75° 55' 1.5.575" to E 75° 55' 23.963".
					योग :		0.259
6	अम्बा 'फ'	अम्बा	चरनोई	331/9	2.258	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 5 की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N-22° 0' 58.612" to N-22° 1' 9.147" E-75° 55' 36.732" to E-75° 55' 52.613".
					योग :		2.258
7	अम्बा 'ज'	अम्बा	चरनोई	331/10	0.227	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 के मध्य स्थित. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N-22° 1' 6.191" to N-22° 1' 10.148", E-75° 55' 50.433" to E-75° 55' 52.799".
					योग ..		0.227
					कुल योग . .		9.024

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक D-372/83-एफ.सी दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित 9.042 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर के आदेश क्रमांक/240/वाचक-2/08, दिनांक 12 जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—क्षतिपूर्ति वक्षारोपण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी.—तहसीलदार, बड़वाहके प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार—निरंक
- सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-116-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-116-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-116-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Blocks Latitude and Longitude List as Column (8) below :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Barwah, Forest Division—Barwah, Forest Range—Sanawad,

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	Latitude and longitude
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (in Hectare)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Amba 'A'	Amba	Grazing land	331/2	1.392	North —Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary. East —Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary. South —Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary. West —Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 06 and 1 Artificial Forest Boundary.	N-22° 1' 38.122" to N-22° 1' 30.166", E-75° 55' 4.066" to E-75° 55' 21.848".
Total					1.392		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Amba 'B'	Amba	Grazing land	331/3	2.501	<p>North—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary.</p> <p>East—Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary.</p> <p>South—Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary.</p> <p>West—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 and 01 Artificial Forest Boundary.</p>	N-22°1'35.409'' to N-22°1'46.694'', E-75°55'7.777'' to E-75°55' 42.745''.
				Total	2.501		
3	Amba 'C'	Amba	Grazing land	331/5	2.237	<p>North—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 04 Artificial Forest Boundary.</p> <p>East—Protect Forest Block Situated Centre No. 04.</p> <p>South—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 Artificial Forest Boundary.</p> <p>West—Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary.</p>	N-22°1'35.587'' to N-22°1'38.053'', E-75°55'39.091'' to E-75°55' 44.082''.
				Total	2.237		
4	Amba 'D'	Amba	Grazing land	331/4	0.060	<p>North—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 04 Artificial Forest Boundary.</p> <p>East—Protect Forest Block Situated Centre No. 04.</p> <p>South—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 Artificial Forest Boundary.</p> <p>West—Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary.</p>	N-22°1'36.826'' to N-22°1'45.608'', E-75°55'43.777'' to E-75°56'5.992''.
				Total	0.060		
5	Amba 'E'	Amba	Grazing land	331/7	0.259	<p>North—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary.</p> <p>East—Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary.</p> <p>South—Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary.</p> <p>West—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 01 Artificial Forest Boundary.</p>	N-22°1'9.187'' to N-22°1'11.0.20'', E-75°55'1.5575'' to E- 75°55'23.963''.
				Total	0.259		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Amba 'F'	Amba	Grazing land	331/9	2.258	North —Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary. East —Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary. South —Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 05 Artificial Forest Boundary. West —Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary.	N-22°0'58.612'' to N-22°1'9.147'' E-75°55'36.732'' to E-75°55' 52.613''.
				Total	<u>2.258</u>		
7	Amba 'G'	Amba	Grazing land	331/10	0.227	North —Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary. East —Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary. South —Protect Forest Block Situated Centre No. 03. West —Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 01 Artificial Forest Boundary.	N-22°1'6.191'' to N-22°1'10.148'', E-75°55'50.433'' to E-75°55' 52. 799''.
				Total . .	<u>0.227</u>		
				Grand Total . .	<u>9.024</u>		

(A) Reason for publication of Notification.—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./D-372/83-FC dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.380 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Ghati Vikas Pradhikaran the above mentioned Non Forest Land of 9.024 hechatre transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order क्रमांक. 240/वाचक-2/08/ dated 12th June 2008 of Collector Khargone for the purpose of compensatory aforestation.
2. Details of other Reasons—Compensatory A forestation.

(B) The Khasrawise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated Nil of Tehsildar Barwah are as under.

1. **Individual Rights**—Nil.
2. **Community Rights**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-117-2016-दस-3.— रूल भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, N-21° 53'53.498" से N-21° 54'7.542" उत्तर अक्षांश तथा E-74°47'54.398 से E-74°48'30.920 पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—बड़वानी, तहसील—पाटी, वनमंडल—(सामान्य) वन मण्डल बड़वानी, वनपरिक्षेत्र—पाटी						
अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ठेंगचा	ठेंगचा (प.ह.न.—20)	शासकीय पहाड़ी	235 237 378/1 379	8.106 5.706 15.080 3.885	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 44 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 44 से 48 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 48 से 88 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 88 से 29 की कृत्रिम वन सीमा.
				योग :	32.777	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश No.07/80-IA, Dated 24th June 1987 & No.J-11016/5/84-IA-I, Dated 13th October, 1993 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन भोपाल की स्वीकृत इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 32.777 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 32.777 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित 32.777 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक/1682/रीडर/2004 बड़वानी (प्र.क्र.07/अ-74/03-04) दिनांक 29.09.2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।
- अन्य कारणों का विवरण—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार पाटी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

- व्यक्तिगत अधिकार—व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार—सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-117-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-117-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-117-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-21°54'7.542" to N-21°53'53.498" North Latitude and E-74°47'54.398 to E-74°48'30.920 East Longitude :—

SCHEDULE

District—Barwani , Tehsil—Pati , Forest Division—Barwani, (T) Forest Range—Pati

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
(1)	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (in Hectare) (6)	(7)
1	Thengcha	Thengcha (P.H. No. 20)	Government Hill	235 237 378/1 379	8.106 5.706 15.080 3.885	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 29 to 44 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 44 to 48 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 48 to 88 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 88 to 29 of Protected Forest Block.
				Total	32.777	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No.3-07/80-IA, Dated 24th June 1987 & No.J-11016/5/84-IA-I, Dated 13th October, 1993 and in lieu of 32.777 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Villey Development Authority Narmada Bhawan, Bhopal of Indira Sagar Project the above mentioned Non forest land of 32.777 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 1682/Ridar/2004 Barwani (RC No. 07/A-74/03-04) dated 29th September 2004 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Pati are as under.

- Individual Rights**—No Individual Rights Exist,
- Community Rights**—No Community Rights Exist,

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-118-2016-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 21° 47'3.930" से 21° 47'54.10" उत्तर अक्षांश तथा 75° 21'37.37" से 75° 22'26.63" पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला—खरगौन, तहसील—सेगांव, वनमंडल—खरगौन, वनपरिक्षेत्र—खरगौन

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पनाली	पनाली	नि.चा.	111/1 141/1 111/2 111/3 141/407	9.00 30.00 4.047 6.945 1.214	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 52 से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 60 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
योग :					51.206	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक D/372/83/एफ.सी., दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 51.206 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/8/वाचक-1/2000, दिनांक 3 जनवरी 2001 एवं आदेश क्रमांक 398/वाचक-2/2008, दिनांक 30 जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण—क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, . . . (पदनाम) तहसीलदार सेगांव के प्रतिवेदन क्रमांक . . . निरंक . . . दिनांक..... निरंक..... द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार—निरंक
- (2) सामुदायिक अधिकार—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-118-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-118-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-118-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21°47'3.930" to 21°47'54.10" North Latitude and 75°21'37.37" to 75°22'26.63" East Longitude :—

SCHEDULE

District—khargone , Tehsil—Segao , Forest Division—khargone, Forest Range—khargone

S. No.	Detail of Land Included					Forest Block Boundaries
(1)	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	(7)
1	Panali	Panali	नि.चा.	111/1 141/1 111/2 111/3 141/ 407	9.00 30.00 4.047 6.945 1.214	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 13 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 52 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 52 to 60 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 60 to 01 of Protected Forest Block.
Total					51.206	

(A) Reason for publication of Notification.—

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./8/-372/83-F.C, Dated 08.09.1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected for of Narmada Valley Development Authority the above mentioned Non forest land of 51.206 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No./ D /वाचक—1 / 2000 dated 30.01.2001 and order No. / 398 /वाचक—2 / 2008 dated 30.06.2008 of District Additional Revenue court Khargone the purpose of compensatory a forestation.
- Detail of other Reasons**—Compensatory A forestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. Nil dated of Nil Designation of Competent Revenue officer) Tehsildar Segao are as under.

- Individual Right**—Nil.
- Community Right**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1929.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-14-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	अनुसूची कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मंदसौर	भानपुरा	बड़ा महादेव	आरक्षित वन-32	4.00	पूर्व—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 पश्चिम—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 उत्तर—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 दक्षिण—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 एवं आम रास्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-14-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-14-2016-दस-2, दिनांक 23 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd September 2016

No. F-15-14-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mandsor	Bhanpura	Bada Mahadev	RF-32	4.00	East—Compartment No. 32 West—Compartment No. 32 North—Compartment No. 32 South—Compartment No. 32 and Common road.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 03-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ग्वालियर	ग्वालियर	इकहरा	221 0.080	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.	
			योग . . . 0.080			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ग्वालियर	ग्वालियर	इकहरा	102 मिन 1/क 0.270	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.	
			योग . . . 0.270			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	दुहिया	845/1 मिन 0.090 845/2 मिन 0.090 योग . . 0.180	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 3 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सिहारा	61/1 0.105 योग . . 0.105	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर एवं एम 1 उपशाखा के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उदयपुर	275 मिन 2 0.130 274/1 0.070 788 0.020 785 0.080 786/ मिन1 0.140 योग . . 0.440	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर एवं एम 4 उपशाखा के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सेनी	290 0.125 1295/2 0.105 1296/4 58/2 0.020 59 0.209 योग . . 0.459	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम 1 मायनर एवं एम 3 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 02-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण			अनुसूची		धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
भिण्ड	रोन	इन्दुरखी	8/3014	0.04	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.	गोरई-अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
			17	0.05		
			18	0.01		
			35/1 क	0.10		
			35/1 ख	0.06		
			35/2	0.01		
			35/3	0.02		
			42/1	0.04		
			42/2	0.18		
			63/5	0.08		
			63/6	0.16		
			63/7	0.02		
			63/8	0.06		
			64/2	0.02		
			57	0.13		
			58	0.17		
			59	0.19		
			60	0.01		
			योग . .	1.35		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 03-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन

की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण			धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)	
भिण्ड	रोन	बहादुरपुरा	1082	0.04	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर. बहादुरपुरा-अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
			1085	0.04	
			1163	0.07	
			1165	0.15	
			1167/1918		
			1167	0.06	
			1168	0.11	
			1166	0.01	
			योग . .	0.48	

(2) भूमि का नक्शा(प्लान)भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्र. 7491-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	किरनापुर	मुरकुडा प.ह.नं.-17. रा.नि.म. किरनापुर.	रकबा 1.034 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.	बम्हनगांव से पानगांव शासकीय सोन नदी पुल सड़क निर्माण परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm_balaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7492-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	बालाघाट	गोगलई	रकबा 1.666 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	बायपास मार्ग गोगलई से नवेगांव सड़क निर्माण चौड़ीकरण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm_balaghat@nic.in एवं म. प्र.शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 7929-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र.एफ 22-03-2016-17/ल. सि.-31-997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता, अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा 1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-सेन्दुरजना ब. न.-405, प.ह.नं.-21, रा.नि.म.-नांदनवाडी, तहसील-पाण्डुर्णा.	रकबा 14.580 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा.
				सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु परियोजना सिंचाई के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-पाण्डुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7930-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूँकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र.एफ 22-03-2016-17/ल. सि.-31-997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा 1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-पेंडोनी, ब. न.-243, प.ह.नं.-43, रा.नि.म.- पाण्डुर्णा-2, तहसील-पाण्डुर्णा.	रकबा 26.675 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा.	पेंडोनी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु परियोजना सिंचाई के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-पाण्डुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. 3121-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	अमोहराडोल	33.195	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-1 सीधी.	बांध निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 3124-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	अमोहराडोल	0.670	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-1 सीधी.	मुख्य नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 3126-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	मड़वास	1.663	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-1 सीधी.	मुख्य एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 अगस्त 2016

पत्र क्र. 2025-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	खोमरहा	5.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग देवलौंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 1965-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—साहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.556 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
438	0.042
437	0.044
436	0.044
427	0.112
428	0.053
429	0.053
430	0.009
376	0.200
योग . .	<u>0.556</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —मझगवां शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1967-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—निरंजनपुर
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.749 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
41	0.038
78	0.181
40	0.131
39	0.050
79	0.055
20	0.085
38	0.009
21	0.118
22	0.264
25	0.008
26	0.003
32	0.328
80	0.465
83	0.014
योग . .	<u>1.749</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —मझगवां शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1969-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—फुटींथा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.506 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
555/6/1/1	0.432
555/5	0.087
555/14/1	0.147
555/14/2	0.157
555/1	0.359
556/4	0.280
556/12	0.329
556/5	0.151
558	1.650
563/3	0.021
556/3	
556/11/ka	0.214
556/11/kha	
556/11/ga	
563/1/ka	0.460
563/1/kha	
563/1/ga	
566	0.219
योग . .	<u>4.506</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —मझगावां शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 14 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 2259-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—मगराज
(घ) क्षेत्रफल—3.474 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
323	0.013
322	0.003
325	0.045
326	0.001
320	0.296
319	0.197
321	0.150
318	0.035
317	0.124
361	0.122
316	0.144
362	0.004
364	0.042
311	0.005
365	0.157
371	0.050
370	0.164
366	0.138
369	0.001
368	0.020
367	0.007
308	0.007
305	0.269
306	0.020
302	0.186
297	0.014
301	0.146
300	0.249
299	0.001
11	0.001

(1)	(2)	(1)	(2)
7	0.024	333	0.066
8	0.469	331	0.068
9	0.204	330	0.063
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>3.308</u>	329	0.073
ब—म. प्र. शासन की भूमि		325	0.051
324/777	0.096	324	0.133
324	0.070	323	0.017
म. प्र. शासन की भूमि का योग : .	<u>0.166</u>	322	0.288
अ+ब का योग . .	<u>3.474</u>	321	0.013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती		425	0.320
नहर के अन्तर्गत बेला वितरक में आने वाली निजी/		426	0.029
शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		427	0.079
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं		288	0.031
पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया		287	0.193
जा सकता है.		429	0.013
		286	0.039
		285	0.037
		284	0.096
पत्र क्र. 2261-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को		280	0.204
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		279	0.117
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि		233	0.144
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन		249/662	0.070
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		248	0.098
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा,		234	0.009
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित		237	0.031
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		236	0.114
		235	0.331
		240	0.026
		184	0.154
		182	0.130
		178	0.113
		173	0.001
		179	0.035
		174	0.182
		175	0.020
		156	0.041
		157	0.072
		155	0.045
		158	0.136
		129	0.194
		126	0.219
		127	0.017
		122	0.569
		अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.853</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
ब—म. प्र. शासन की भूमि		297	0.028
290	0.031	292	0.293
183	0.017	291	0.038
172	0.002	284	0.012
177	0.042	285	0.205
176	0.032	286	0.060
123	0.075	289	0.019
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.199</u>	313	0.252
अ+ब का योग . .	<u>6.052</u>	314	0.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2263-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—विधुई कला
(घ) क्षेत्रफल—2.426 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

243/375	0.094
240	0.007
243	0.610
298/355	0.103
298/354	0.094
342	0.016
298	0.089

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 2.361

ब—म. प्र. शासन की भूमि

347	0.065
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.065</u>
अ+ब का योग . .	<u>2.426</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2265-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़

- (ग) ग्राम—दादर-264
(घ) क्षेत्रफल—0.157 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

808	0.044
805	0.029
661	0.084

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.157

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . . .	<u>0.157</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2267-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—धौरहरा-304
(घ) क्षेत्रफल—0.742 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

34	0.028
35	0.127
31	0.036
29	0.450

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.641

ब—म. प्र. शासन की भूमि

33	0.101
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.101</u>
अ+ब का योग . . .	<u>0.742</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2269-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—रेरूआ-558
(घ) क्षेत्रफल—0.049 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

439/2	0.049
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	<u>0.049</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . . .	<u>0.049</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2271-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बड़ागांव 411
(घ) क्षेत्रफल—6.341 हेक्टेयर.

खसरा अर्जित रकबा
नम्बर (हेक्ट. में)
(1) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1077	0.031	1431	0.019
1076	0.058	1418	0.006
1080	0.066	1413	0.049
1079	0.026	1430	0.063
1084	0.303	1431	0.099
1330	0.084	1432	0.134
1324	0.168	2121	0.040
1329	0.001	2043	0.016
1327	0.058	2040	0.118
1326	0.056	1435	0.004
1325	0.039	1437	0.018
1333	0.033	1438	0.109
1347	0.078	1451	0.059
1346	0.018	1450	0.001
1350	0.234	1452	0.064
1353	0.001	1467	0.001
1387	0.012	1453	0.006
1386	0.025	1455	0.152
1385	0.053	1456	0.011
1388	0.045	1457	0.005
1389	0.020	1458	0.060
1384	0.020	1999	0.005
1390	0.027	1319	0.178
1383	0.026	1089	0.003
1415	0.127	1318	0.063
1417	0.031	1315	0.026
		1316	0.065
		1313	0.072
		1308	0.051
		1309	0.032
		1302	0.080
		1300	0.106
		1295	0.046
		1294	0.076
		1292	0.001
		1285	0.069
		1286	0.104
		1287	0.009
		1543	0.252
		1690	0.061
		1691	0.001

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—रीठी 554
(घ) क्षेत्रफल—4.825 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1) अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

		1305	0.011
		1308	0.002
		1309	0.047
		1306	0.002
		1310	0.006
		1311	0.026
		1323	0.011
		1322	0.022
		1321	0.006
		1317	0.016
		1320	0.064
		1319	0.013
		1318	0.060
513	0.100	1280	0.021
512	0.044	1279	0.007
514	0.062	1278	0.030
524	0.095	643	0.149
523	0.023	641	0.001
625	0.089	640	0.006
632	0.023	636	0.023
631	0.065	638	0.073
644	0.334	637	0.033
645	0.013	655	0.023
646	0.103	656	0.107
1079	0.081	658	0.082
1080	0.007	690	0.031
1094	0.062	689	0.054
1093	0.013	692	0.078
1095	0.003	688	0.007
1096	0.026	699	0.074
1103	0.002	700	0.080
1097	0.021	701	0.023
1098	0.009	716	0.073
1102	0.021	702	0.053
1099	0.004	709	0.066
1101	0.022	853	0.049
1100	0.024	851	0.141
1121	0.019	850	0.012
1299	0.020	859	0.108
1300	0.025	882	0.023
1304	0.046	860	0.014

(1)	(2)	(1)	(2)
861	0.029	626	0.022
881	0.006	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 4.654	
844	0.003	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
880	0.088	613	0.012
879	0.008	614	0.022
862	0.051	615	0.018
863	0.014	708	0.050
835	0.121	712	0.034
816	0.029	852	0.030
815	0.006	858	0.005
817	0.027	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.171	
818	0.069	अ+ब का योग . . . 4.825	
819	0.026		
830	0.011	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र, 13” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
829	0.010		
828	0.055		
826	0.019	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
825	0.020		
831	0.046		
515	0.002	पत्र क्र. 2275-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
628	0.023	अनुसूची	
647	0.065	(1) भूमि का वर्णन—	
1005	0.076	(क) जिला—रीवा	
1006	0.025	(ख) तहसील—गुढ़	
1007	0.011	(ग) ग्राम—जोकिहा 211	
1008	0.020	(घ) क्षेत्रफल—0.946 हेक्टेयर.	
1004	0.009		
1018	0.130		
1017	0.121		
1016	0.100		
1020	0.022		
1023	0.017		
1024	0.019		
1025	0.052		
1026	0.009		
1050	0.004		
1047	0.079		
1046	0.029		
1077	0.088		
1081	0.005		
1082	0.005		
		अ—निजी पट्टे की भूमि	
		खसरा	अर्जित रकबा
		नम्बर	(हेक्ट. में)
		(1)	(2)
		अ—निजी पट्टे की भूमि	
		469	0.097
		476	0.163
		477	0.010
		455	0.241

(1)	(2)	खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
454	0.006		
453	0.197		
497	0.012		
498	0.049	188	0.188
501	0.044	189	0.082
502	0.005	200	0.006
440	0.047	199	0.087
439	0.042	205	0.058
438	0.009	203	0.028
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.922</u>	174	0.016
		173	0.022
ब—म. प्र. शासन की भूमि		172	0.025
468	0.024	24	0.041
		171	0.009
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.024</u>	150	0.118
अ+ब का योग . .	<u>0.946</u>	157	0.002
		158	0.013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 11” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		159	0.114
		143	0.005
		142	0.091
		141	0.011
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		139	0.093
		138	0.044
		137	0.008
		288	0.042
पत्र क्र. 2277-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		287	0.007
		290	0.06
		303	0.209
		304	0.002
		302	0.01
		301	0.01
		312	0.015
		311	0.058
		285	0.007
(1) भूमि का वर्णन—		310	0.007
(क) जिला—रीवा		314	0.115
(ख) तहसील—गुढ		453	0.001
(ग) ग्राम—रकरिया 542		452	0.008
(घ) क्षेत्रफल—4.717 हेक्टेयर.		451	0.123

(1)	(2)	(1)	(2)
450	0.015	778	0.047
321	0.096	777	0.038
361	0.016	776	0.003
323	0.047	651	0.072
346	0.29	650	0.002
350	0.02	654	0.029
349	0.012	655	0.029
348	0.05	656	0.007
347	0.043	657	0.07
370	0.028	658	0.007
376	0.12	671	0.076
371	0.013	673	0.132
375	0.01	751	0.107
374	0.176	675	0.037
389	0.156	750	0.002
385	0.041	746	0.061
388	0.127	747	0.015
378	0.001	748	0.009
176	0.155	863	0.017
178	0.005	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>4.628</u>
177	0.009	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
449	0.054		
456	0.005	866	0.012
448	0.078	674	0.014
433	0.033	649	0.018
432	0.047	400	0.017
431	0.053	170	0.028
429	0.029	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.089</u>
403	0.062	अ+ब का योग . .	<u>4.717</u>
410	0.011		
404	0.033	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
408	0.03	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
407	0.103		पत्र क्र. 2279-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
406	0.046		
782	0.073		
783	0.033		
779	0.007		
784	0.006		

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—खजुहा 119
(घ) क्षेत्रफल—8.667 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

2478	0.038
2481	0.035
2479	0.047
2484	0.138
2483	0.001
2485	0.144
2486	0.036
2487	0.057
2505	0.025
2497	0.004
2503	0.049
2498	0.099
2500	0.093
2496	0.008
2495	0.154
2574	0.019
2573	0.019
2575	0.156
2568	0.013
2567	0.072
2566	0.070
2903	0.014
2898	0.052
2899	0.063
2913	0.062

(1)	(2)
2917	0.003
2916	0.066
2920	0.052
2932	0.005
2941	0.070
2936	0.042
2935	0.049
1036	0.087
1058	0.037
1060	0.041
1059	0.007
1063	0.102
1064	0.020
1067	0.041
1066	0.053
1069	0.046
1070	0.048
1071	0.041
1072	0.052
1105	0.180
1107	0.013
1146	0.020
1151	0.086
1152	0.133
818	0.128
817	0.080
782	0.004
778	0.060
779	0.018
654	0.048
749	0.004
780	0.005
773	0.006
774	0.003
770	0.124
771	0.003
750	0.024
769	0.001
752	0.038
751	0.126
753	0.043

(1)	(2)	(1)	(2)
655	0.026	1483	0.018
656	0.003	1481	0.082
597	0.039	1150	0.092
658	0.014	1155	0.055
657	0.001	1157	0.093
591	0.033	1160	0.063
587	0.005	1170	0.077
586	0.080	1169	0.072
585	0.003	1176	0.038
660	0.004	1177	0.050
659	0.020	1191	0.048
580	0.046	1190	0.078
578	0.009	1209	0.034
577	0.150	1188	0.028
575	0.021	1211	0.048
573	0.048	1218	0.022
572	0.036	1217	0.040
571	0.061	1220	0.038
567	0.043	1249	0.031
562	0.032	1246	0.072
564	0.058	1244	0.089
565	0.059	1245	0.005
543	0.030	1243	0.101
542	0.019	1239	0.093
1384/3024	0.052	1653	0.075
1384	0.071	1652	0.112
1382	0.005	1649	0.046
1383	0.072	1648	0.048
1381	0.027	1657	0.080
1379	0.019	1661	0.036
1369	0.060	1662	0.050
1378	0.002	1663	0.055
1375	0.123	1639	0.056
1376	0.088	1637	0.032
1492	0.078	1636	0.013
1491	0.069	1674	0.072
1490	0.049	1678	0.034
1486	0.012	1679	0.007
1487	0.185	1680	0.122
1485	0.013	1683	0.074
1499	0.113	1684	0.005

(1)	(2)	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1687	0.069		
1689	0.076		
1696	0.007	पत्र क्र. 2281-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-	
1697	0.001		
1717	0.118		
1153	0.016		
1156	0.017		
1482	0.037		
2918	0.003		
1108	0.020		
1109	0.014		
1110	0.001		
1133	0.079		
1134	0.095		
1136	0.049		
1145	0.079		
1144	0.087		
754	0.001		
592	0.013		
576	0.004		
1498	0.014		
1500	0.122		
1501	0.015		
1502	0.014		
570	0.005		
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	8.595		
ब—म. प्र. शासन की भूमि			
2517	0.033		
2934	0.003		
1224	0.020		
1016	0.016		
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.072		
अ+ब का योग . .	8.667		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10 एवं 11” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं			

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—महसांव 501
(घ) क्षेत्रफल—5.718 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------	------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

197	0.072
195	0.008
187	0.056
153	0.157
158	0.262
160	0.027
161	0.179
169	0.186
167	0.198
444	0.233
443	0.009
442	0.122
440	0.014
432	0.187
433	0.070
434	0.123
423	0.060
425	0.046
421	0.050
420	0.026

(1)	(2)	(1)	(2)
413	0.221	1002	0.183
412	0.068	1007	0.059
411	0.017	1008	0.006
410	0.059	1040	0.096
645	0.165	1041	0.005
644	0.022	1042	0.076
702	0.093	1043	0.085
701	0.014	2414	0.004
700	0.076	2415	0.004
699	0.004	2416	0.006
696	0.080	2417	0.006
697	0.011	2418	0.006
695	0.075	2419	0.007
687	0.035	2420	0.020
688	0.042	2421	0.011
686	0.059	2422	0.020
1181	0.022	2423	0.014
1182	0.071	2424	0.012
1180	0.076	2425	0.013
1177	0.038	2426	0.013
1175	0.002	2427	0.016
1174	0.035	2428	0.014
1157	0.014	2429	0.017
1268	0.003	2430	0.016
1149	0.118	2431	0.010
1143	0.128	2432	0.011
1255	0.098	2433	0.010
1256	0.001	2434	0.009
1257	0.126	2435	0.013
1266	0.002	2436	0.004
1267	0.039	2437	0.003
1269	0.109	2438	0.002
1105	0.017	3336	0.004
1106	0.079	3337	0.014
1101	0.030	3338	0.032
1100	0.028	3339	0.028
1099	0.090	3340	0.020
1097	0.023	3341	0.016
1098	0.031	3342	0.003
1004	0.034	1163	0.024
1001	0.017	1164	0.010

(1)	(2)	(घ) क्षेत्रफल—0.704 हेक्टेयर.	
1165	0.006	खसरा	अर्जित रकबा
1159	0.088	नम्बर	(हेक्ट. में)
1158	0.001	(1)	(2)
720	0.013	अ—निजी पट्टे की भूमि	
1154	0.004	240	0.068
1153	0.141	241	0.064
1152	0.035	243	0.062
1150	0.051	242	0.090
1173	0.002	235	0.008
1166	0.002	223	0.066
1045	0.003	222	0.026
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.625</u>	221	0.032
		220	0.004
		249/194	0.130
		194	0.084
		193	0.008
		104	0.062
		अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.704</u>
		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
103	0.028		
294	0.019		
295	0.032		
1194	0.014		
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.093</u>		
अ+ब का योग . .	<u>5.718</u>		

ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . .	<u>0.704</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 11 एवं 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2283-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

पत्र क्र. 2285-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—नौवा 275

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—अतौरैला 17

(घ) क्षेत्रफल—1.004 हेक्टेयर.		(1)	(2)
खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)		
		246	0.017
		262	0.027
		247	0.001
अ—निजी पट्टे की भूमि		248	0.020
10	0.108	249	0.014
9	0.006	250	0.016
7	0.026	251	0.028
5	0.067	16	0.007
2	0.012	140	0.001
17	0.055	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . <u>1.004</u>	
18	0.005	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1	0.009	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . <u>0.000</u>	
11	0.008	अ+ब का योग . . . <u>1.004</u>	
34	0.010	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
33	0.015	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
44	0.056	पत्र क्र. 2287-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
32	0.001	अनुसूची	
31	0.012	(1) भूमि का वर्णन—	
30	0.063	(क) जिला—रीवा	
29	0.003	(ख) तहसील—मनगवां	
139	0.020	(ग) ग्राम—पथरहा 357	
127	0.021	(घ) क्षेत्रफल—8.088 हेक्टेयर.	
126	0.003	खसरा	अर्जित रकबा
151	0.023	नम्बर	(हेक्ट. में)
150	0.029	(1)	(2)
149	0.002	अ—निजी पट्टे की भूमि	
152	0.016	1614	0.004
147	0.033	1604	0.012
159	0.019		
166	0.001		
167	0.006		
170	0.030		
235	0.005		
237	0.090		
236	0.042		
233	0.005		
243	0.050		
232	0.006		
244	0.001		
245	0.015		

(1)	(2)	(1)	(2)
1601	0.316	1168	0.108
1600	0.016	1169	0.110
1599	0.240	1165	0.008
1590	0.019	1164	0.011
1585	0.007	1159	0.009
1589	0.004	1587	0.006
1584	0.329	1588	0.101
1586	0.001	1608	0.005
1583	0.259	1390	0.043
1580	0.020	1389	0.008
1395	0.011	1388	0.070
1396	0.360	1387	0.014
1397	0.019	1386	0.007
1398	0.016	1385	0.051
1412	0.027	1384	0.011
1411	0.403	1383	0.085
1409	0.030	1382	0.156
1410	0.084	1377	0.006
1406	0.112	1378	0.017
1436	0.001	1218	0.011
1437	0.125	1219	0.054
1440	0.091	1227	0.024
1442	0.085	1228	0.052
1444	0.080	1230	0.039
1448	0.126	1241	0.006
1447	0.106	1240	0.045
1454	0.027	1238	0.006
1455	0.022	1237	0.001
1204	0.032	1236	0.048
1203	0.019	1270	0.046
1205	0.029	1269	0.002
1206	0.032	1267	0.063
1207	0.043	1268	0.005
1196	0.045	1405	0.009
1195	0.121	1502	0.125
1188	0.108	1500	0.117
1177	0.107	1513	0.025
1178	0.025	1514	0.057
1173	0.116	1515	0.005
1167	0.026	1516	0.014

(1)	(2)	(1)	(2)
1518	0.062	312	0.033
1521	0.002	311	0.020
1520	0.027	310	0.040
1089	0.038	308	0.035
1090	0.016	307	0.017
1091	0.009	304	0.010
1092	0.003	303	0.033
1093	0.019	302	0.004
1094	0.018	294	0.018
751	0.041	295	0.018
752	0.050	293	0.012
753	0.021	290	0.002
731	0.009	291	0.019
754	0.089	275	0.102
1027	0.042	274	0.005
1025	0.019	273	0.082
1024	0.018	272	0.005
1020	0.085	158	0.065
1019	0.075	161	0.061
777	0.056	162	0.017
778	0.028	163	0.013
791	0.033	168	0.039
789	0.081	169	0.023
792	0.008	185	0.006
988	0.122	184	0.068
986	0.032	186	0.011
987	0.032	189	0.025
985	0.001	188	0.017
1166	0.054	215	0.038
1139	0.121	218	0.002
1138	0.001	216	0.065
632	0.011	526	0.047
631	0.012	523	0.125
633	0.050	522	0.067
634	0.006	498	0.008
638	0.042	503	0.092
320	0.039	502	0.084
637	0.001	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	8.009
321	0.022	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
324	0.025	1170	0.014
323	0.026	1171	0.007

(1)	(2)	(1)	(2)
1622/1501	0.052	119	0.032
327	0.006	120	0.017
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.079	121	0.003
अ+ब का योग . .	8.088	106	0.010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		111	0.034
		109	0.054
		133	0.001
		135	0.025
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		137	0.039
		140	0.016
		139	0.016
		143	0.010
		144	0.025
		150	0.015
		151	0.005
		152	0.023
		अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.684

पत्र क्र. 2289-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—कछिगवां 79
(घ) क्षेत्रफल—0.700 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

73	0.112
75	0.005
97	0.014
94	0.023
96	0.022
95	0.007
103	0.001
113	0.094
115	0.033
123	0.021
124	0.022
125	0.005

ब—म. प्र. शासन की भूमि

122	0.016
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.016
अ+ब का योग . .	0.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2291-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

- (ग) ग्राम—ढाढ़र 219
(घ) क्षेत्रफल—2.118 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

130	0.020
133	0.518
131	0.001
98	0.189
97	0.010
88	0.228
85	0.267
84	0.010
83	0.065
82	0.056
80	0.004
81	0.072
79	0.113
73	0.304
78	0.010
77	0.004
75	0.237
76	0.010

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.118

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 2.118

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2293-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—रघुराजगढ़-574
(घ) क्षेत्रफल—0.205 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

692	0.205
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	<u>0.205</u>

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.000</u>
अ+ब का योग . . .	<u>0.205</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2295-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—तमहा 256
(घ) क्षेत्रफल—2.459 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

88	0.002
89	0.019

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—बक्छेरा 405

(घ) क्षेत्रफल—2.918 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

(1)	(2)		
86	0.524		
90	0.048		
191	0.130		
190	0.010		
109	0.361		
172	0.038		
171	0.001		
110	0.100		
111	0.013		
112	0.202		
113	0.051		
115	0.286	44	0.038
119	0.034	46	0.001
120	0.002	45	0.232
118	0.019	64	0.198
123	0.156	61	0.006
124	0.016	55	0.006
169	0.001	65	0.009
49	0.246	73	0.083
48	0.025	184	0.054
47	0.126	183	0.038
126	0.001	76	0.019
127	0.020	77	0.066
241/118	0.028	178	0.022
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.459	175	0.045
		176	0.033
		177	0.001
ब—म. प्र. शासन की भूमि		201	0.159
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	294	0.004
अ+ब का योग . .	2.459	292	0.032
		293	0.042
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		296	0.007
		297	0.010
		290	0.132
		299	0.002
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		289	0.004
		284	0.106
		286	0.029
		285	0.018
		574	0.026
		575	0.144
		700	0.101
		703	0.023

पत्र क्र. 2297-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

(1)	(2)
699	0.006
706	0.051
697	0.004
695	0.056
736	0.015
762	0.035
764	0.015
763	0.092
770	0.072
1593/717	0.010
771	0.008
772	0.057
769	0.018
675	0.050
677	0.018
676	0.042
670	0.133
669	0.055
650	0.001
668	0.100
659	0.021
1592/660	0.027
631	0.015
630	0.115
81	0.001
174	0.015
173	0.028
694	0.001
765	0.010
766	0.003
667	0.004
661	0.053
629	0.002
767	0.003
56	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.827</u>
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
47	0.001
57	0.050
696	0.026
773	0.014
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.091</u>
अ+ब का योग . .	<u>2.918</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 एवं 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2299-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—पहाड़िया 365
(घ) क्षेत्रफल—2.359 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
----------------------	------------------------------------

अ—निजी पट्टे की भूमि

84	0.012
83	0.123
80	0.058
78	0.061
77	0.089
1105	0.001
1106	0.009
1107	0.073
1108	0.068
114	0.011
115	0.080
108	0.072
109	0.016
104	0.016
103	0.052
1061	0.046
1062	0.054
1060	0.022
1066	0.001

(1)	(2)	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1067	0.039	1158	0.013
1068	0.015	1176	0.006
1069	0.009	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.019
1071	0.105	अ+ब का योग . .	2.359

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2301-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन—	
51	0.064	(क) जिला—रीवा	
52	0.024	(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान	
53	0.019	(ग) ग्राम—खरहरी 125	
54	0.022	(घ) क्षेत्रफल—2.684 हेक्टेयर.	
55	0.096	खसरा	अर्जित रकबा
56	0.042	नम्बर	(हेक्ट. में)
65	0.046	(1)	(2)
60	0.001		
64	0.010		
61	0.061		
62	0.016		
72	0.001		

अ—निजी पट्टे की भूमि

120	0.059	634	0.155
121	0.016	633	0.043
119	0.037	621	0.026
118	0.023	622	0.054
1063	0.001	632	0.049
1056	0.028	631	0.035
110	0.034	635	0.055
111	0.049	623	0.041
93	0.011	627	0.001
94	0.071	626	0.072
96	0.001	625	0.028
95	0.026	592	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.340	593	0.136
		587	0.001

(1)	(2)	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
595	0.157	543	0.004
594	0.001	551	0.012
583	0.024	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.016
580	0.020	अ+ब का योग . .	2.684
582	0.009	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती	
581	0.007	नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18”	
577	0.036	में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित	
576	0.047	सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
541	0.035	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
539	0.075	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
537	0.042	जा सकता है.	
536	0.056	पत्र क्र. 2303-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को	
513	0.005	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
511	0.008	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
514	0.088	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
510	0.001	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
509	0.010	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा	
402	0.015	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	
403	0.098	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-	
404	0.038	अनुसूची	
478	0.078	(1) भूमि का वर्णन—	
476	0.072	(क) जिला—रीवा	
452	0.043	(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान	
474	0.008	(ग) ग्राम—अमिलिया 16	
453	0.042	(घ) क्षेत्रफल—2.538 हेक्टेयर.	
461	0.098	खसरा	अर्जित रकबा
460	0.009	नम्बर	(हेक्ट. में)
462	0.003	(1)	(2)
463	0.119	अ—निजी पट्टे की भूमि	
248	0.019	913	0.180
247	0.132	820	0.083
246	0.052	818	0.059
512	0.094	824	0.033
475	0.011	825	0.102
538	0.039	847	0.126
547	0.087	848	0.029
550	0.133	902	0.063
556	0.154	901	0.027
483	0.006	900	0.096
		898	0.119
		868	0.091
		896	0.018
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.668		

(ग) ग्राम—टीकर-227	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—0.822 हेक्टेयर.	95	0.008
खसरा	अर्जित रकबा	154
नम्बर	(हेक्ट. में)	155
(1)	(2)	156
अ—निजी पट्टे की भूमि	157	0.009
3906/2230	0.822	151
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.822	158
		276
ब—म. प्र. शासन की भूमि		275
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	275
अ+ब का योग . .	0.822	276
		275
		0.002
		0.085
		0.002
		0.216
		0.216
		0.000
		0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2307-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—परसा-348
(घ) क्षेत्रफल—0.216 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

115	0.029
116	0.001
114	0.026
144	0.001
111	0.002
145	0.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2309-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—गड़रिया-154
(घ) क्षेत्रफल—0.781 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

315	0.056
316	0.009
311	0.385

(1)	(2)
353	0.007
354	0.011
350	0.042
379	0.009
380	0.019
397	0.010
381	0.012
393	0.006
382	0.003
391	0.026
392	0.004
386	0.005
387	0.005
388	0.008
389	0.014
390	0.002
405	0.020
406	0.014
407	0.007
408	0.006
411	0.005
412	0.015
410	0.003
438	0.013
413	0.005
414	0.011
432	0.002
431	0.005
423	0.006
418	0.020
419	0.013
417	0.003

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.781

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग . . . 0.781

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2311-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—सगरा 579
(घ) क्षेत्रफल—6.287 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्ट. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

624	0.202
623	0.048
622	0.119
619	0.041
620	0.054
617	0.226
616	0.005
615	0.122
668	0.156
667	0.054
665	0.142
661	0.143
660	0.087
662	0.047
654	0.157
651	0.012
653	0.111
866	0.117
868	0.009
869	0.216
910	0.027
909	0.068
912	0.150
907	0.004
913	0.040
2181	0.078

(1)	(2)	(1)	(2)
2184	0.026	2259	0.003
2185	0.032	2369	0.054
2186	0.088	2279	0.025
2170	0.104	2280	0.001
2187	0.048	2363	0.007
2169	0.049	2360	0.012
2246	0.077	2364	0.001
2245	0.101	2362	0.005
2240	0.001	2361	0.014
2480/2222	0.126	2359	0.048
2227	0.202	2358	0.005
2420	0.077	2341	0.009
2421	0.063	595	0.157
2428	0.050	594	0.001
2453	0.019	593	0.002
2455	0.022	592	0.019
2458	0.023	589	0.008
2459	0.059	588	0.001
2460	0.047	590	0.011
2461	0.005	584	0.011
2462	0.128	591	0.050
918	0.038	583	0.009
919	0.039	570	0.028
921	0.022	599	0.015
922	0.066	568	0.004
917	0.014	567	0.020
937	0.046	600	0.015
938	0.159	566	0.020
2156	0.040	672	0.037
2153	0.041	565	0.021
2165	0.023	698	0.021
2164	0.066	697	0.010
2163	0.004	696	0.015
2151	0.078	693	0.015
2150	0.103	695	0.001
2149	0.055	694	0.004
2148	0.001	691	0.012
2127	0.010	690	0.009
2126	0.040	687	0.001
2123	0.007	686	0.005
2125	0.020	692	0.004
2261	0.013	685	0.005
2257	0.053	683	0.007
2260	0.004	684	0.025

(1)	(2)	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
682	0.013		
681	0.027		
705	0.060	अनुसूची	
704	0.001	(1) भूमि का वर्णन—	
706	0.012	(क) जिला—रीवा	
845	0.003	(ख) तहसील—हुजूर	
844	0.012	(ग) ग्राम—नवागाँव 314	
846	0.028	(घ) क्षेत्रफल—2.460 हेक्टेयर.	
847	0.019	खसरा	अर्जित रकबा
848	0.033	नम्बर	(हेक्ट. में)
859	0.040	(1)	(2)
969	0.001	अ—निजी पट्टे की भूमि	
2188	0.020		
2424	0.002	791	0.139
843	0.006	794	0.019
2235	0.016	798	0.114
2256	0.025	797	0.002
2255	0.003	801	0.092
2254	0.027	803	0.074
2258	0.055	804	0.011
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.874	726	0.226
		725	0.093
ब—म. प्र. शासन की भूमि		802	0.055
640	0.087	796	0.038
2241	0.240	727	0.107
2429	0.041	729	0.065
596	0.045	730	0.038
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.413	712	0.156
अ+ब का योग . .	6.287	709	0.055
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		710	0.001
		711	0.073
		714	0.021
		715	0.037
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		716	0.018
		615	0.064
		614	0.107
		611	0.005
		613	0.064
		597	0.068
		598	0.097

पत्र क्र. 2313-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

(1)	(2)	(1)	(2)
599	0.062	548	0.282
600	0.055	408	0.071
589	0.095	424	0.136
588	0.084	425	0.036
793	0.002	426	0.093
795	0.011	423	0.003
800	0.017	436	0.012
596	0.001	438	0.019
594	0.001	435	0.047
592	0.147	458	0.033
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.314	730	0.017
ब—म. प्र. शासन की भूमि		731	0.008
728	0.146	728	0.015
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.146	443	0.011
अ+ब का योग . .	2.460	455	0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		447	0.021
		454	0.006
		453	0.005
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		451	0.006
		448	0.011
पत्र क्र. 2315-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-		449	0.013
		336	0.018
		333	0.007
		335	0.001
		334	0.003
		699	0.015
		332	0.014
अनुसूची		761	0.012
(1) भूमि का वर्णन—		700	0.019
(क) जिला—रीवा		758	0.010
(ख) तहसील—हुजूर		757	0.017
(ग) ग्राम—पुरैना 380		756	0.003
(घ) क्षेत्रफल—1.375 हेक्टेयर.		755	0.009
खसरा	अर्जित रकबा		
नम्बर	(हेक्ट. में)		
(1)	(2)	701	0.010
अ—निजी पट्टे की भूमि		754	0.023
540	0.103		

(1)	(2)	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-	
751	0.012	अनुसूची	
709	0.002		
750	0.006	(1) भूमि का वर्णन—	
749	0.005	(क) जिला—रीवा	
727	0.006	(ख) तहसील—हुजूर	
721	0.010	(ग) ग्राम—भांटी-472	
726	0.008	(घ) क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर.	
724	0.010	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
723	0.009	(1)	(2)
930	0.002	अ—निजी पट्टे की भूमि	
931	0.045	1211	0.010
932	0.015	1216	0.232
759	0.001	1217	0.058
752	0.001	1215	0.005
		1136	0.047
		1135	0.007
		1223	0.026
		1222	0.003
		1224	0.022
		1228	0.051
		1221	0.001
		1229	0.003
		1232	0.041
		1235	0.002
		1238	0.016
		1237	0.026
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.249	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.550
		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
		म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
		अ+ब का योग . .	0.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2317-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. Q-RA-1-एक-7-3-15 (भाग-एक).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-5017-एक-7-3-2015 (भाग-एक) जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-5675-एक-7-3-2015 (भाग-एक), जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में ईद-उल-जुहा के अवसर पर दिनांक 12 सितम्बर 2016 (सोमवार) के पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक 13 सितम्बर 2016 (मंगलवार) को अवकाश घोषित किया जाता है।

उक्त परिवर्तित अवकाश के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार दिनांक 12 सितम्बर 2016 को कार्यदिवस रहेगा।

Jabalpur, the 15th September 2016

No. 926-Confdl.-2016-II-2-1-2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop on Cyber Law & Electronic Evidence** for the Judges of District Judiciary on **15 October 2016 & 16 October 2016** in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by **9:30 a.m. on 15th October 2016** in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I** on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam, A.G. III** on telephone No. **0761-2628679** or **Shri Pramod Kushwaha, A. G. III** on Mobile No. **09713717147** at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (**Platform No.1 only**) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshops, free of charge, as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.
10. The participants shall send atleast three article/presentation/research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the workshop on official email of the State Judicial Academy i.e. mpjotri@gamil.com atleast three days prior to the schedule of workshop.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 932-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी					
क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री गिरीश दीक्षित, रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 933-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी				
क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री विजय चन्द्रा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन	जबलपुर	रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

गणना-पत्रक

क्र. B-4424-दो-3-420-80 भाग-बारह-बी.—श्री आर. पी. वर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 24 अगस्त 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 सितम्बर 2014 से 24 अगस्त 2016 तक 23 माह की ब्लाक अवधि हेतु 29 दिवस (उन्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-2336-दो-3-44-2013.—श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2016 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19 से 22 अगस्त 2016 तक 04 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. E-2460-दो-3-420/80 भाग सोलहः—श्री दिलीप कुमार मिश्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 04 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र)के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून, 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

1. श्री दिलीप कुमार मिश्र, स्वैच्छिक : 16-11-1987 सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक : 04-08-2016
3. नियुक्ति दिनांक से : निरंक दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 28 वर्ष, 8 माह, सेवानिवृत्ति दिनांक तक 18 दिन. कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : निरंक अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 28=14×15=210 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 210 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 30 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 180 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता. (सेवानिवृत्ति दिनांक 04-08-2016 को शेष अर्जित अवकाश 230 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 917-गोपनीय-2016-दो-3-250/57 (भाग-34).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकान क्रमांक 3 (बी) 02-2014-इक्कीस-ब (एक) (अनुपूरक सूची मेरिट क्रमांक 03), दिनांक 30 अगस्त 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री यश कुमार सिंह	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 924-गोपनीय-2016-दो-3-70/60.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है, कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :-

सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
1	श्रीमती सोनाली शर्मा	जावरा (रतलाम)	13	श्री प्रियंक भारद्वाज	ग्वालियर
2	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी	भानपुरा (मंदसौर)	14	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	सागर
3	श्री सुधीर सिंह निगवाल	रीवा	15	कुमारी स्वाती बजाज	शुजालपुर (शाजापुर)
4	श्री मनोज कुमार भाटी	नरसिंहपुर	16	श्री वरूण कुमार शर्मा	दमोह
5	श्री वरूण चौहान	रीवा	17	श्रीमती मिनी गुप्ता	शिवपुरी
6	श्री सुनीत अग्रवाल	लहार (भिण्ड)	18	श्रीमती स्वप्नश्री सिंह	मण्डला
7	श्री मुकेश कुमार शिवहरे	राजनगर (छतरपुर)	19	श्री समीर कुमार मिश्रा	सागर
8	श्री अमित नगायच	जयसिंगनगर (शहडोल)	20	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला	भिण्ड
9	श्री विजय कुमार पाठक	सबलगढ़ (मुरैना)	21	श्री रवि नायक	बुरहानपुर
10	श्रीमती शक्ति वर्मा	कटनी	22	श्री मुकेश गुप्ता	शिवपुरी
11	श्री सय्यद दानिश अली	जौरा (मुरैना)	23	श्री पार्थ शंकर मिश्रा	भोपाल
12	श्रीमती आकांक्षा कत्याल	गुना	24	श्री अरविन्द सिंह	निवाड़ी (टीकमगढ़)
			25	श्री भूपेश कुमार मिश्रा	ग्वालियर
			26	श्री अंकित श्रीवास्तव	श्यापुर
			27	कुमारी श्वेता श्रीवास्तव	सतना
			28	कुमारी रूचि गोलस	ग्वालियर
			29	श्री प्रीतम बंसल	विदिशा
			30	श्रीमती नमिता द्विवेदी	ग्वालियर
			31	श्री तपन धारगा	सोंसर (छिन्दवाड़ा)
			32	श्री रविन्द्र गुप्ता	राधौगढ़ (गुना)
			33	श्रीमती मेघा अग्रवाल	लहार (भिण्ड)
			34	श्रीमती रंजना चतुर्वेदी	ग्वालियर
			35	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया	बड़ामलहरा (छतरपुर)
			36	श्री तथागत यागनिक	भैंसदेही (बैतूल)
			37	श्री दिनेश मीना	बदनावर (धार)
			38	श्री जय पाटीदार	पवई (पन्ना)

(1)	(2)	(3)
39	कुमारी वर्षा सूर्यवंशी	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)
40	श्री प्रेमदीप सांकला	मऊगंज (रीवा)
41	श्री प्रदीप सोनी (जूनियर)	हरदा
42	कुमारी रूचिता गुर्जर	तराना (उज्जैन)
43	श्री जितेन्द्र मेहर	राजगढ़
44	श्री रवि चौकसे	हरदा
45	श्री पियूष भावे	बीना (सागर)
46	श्री राघवेन्द्र पटेल	नागोद (सतना)
47	श्री चन्द्रशेखर राठौर	ब्यावरा (राजगढ़)
48	श्रीमती सुरूचि रावत	बासोदा (विदिशा)
49	श्री सतीश शर्मा	लौंडी (छतरपुर)
50	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता	धार
51	श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी	सैलाना (रतलाम)
52	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन	अशोकनगर
53	श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी	सारंगपुर (राजगढ़)
54	श्री निर्भय कुमार गरवा	लौंडी (छतरपुर)
55	श्री राजेन्द्र कुमार अहिवार	सीधी
56	कुमारी वंदना मालवीय	महेश्वर (मण्डलेश्वर)
57	श्रीमती प्रेमलता बोराना	शुजालपुर (शाजापुर)
58	कुमारी संचिता भदकारिया	भोपाल
59	श्री धर्म कुमार	आष्टा (सीहोर)
60	श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार	जबलपुर
61	श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे	कुक्षी (धार)
62	कुमारी लक्ष्मी वास्कले	बीना (सागर)
63	श्री नानसिंह ताहेड़	महू (इन्दौर)
64	कुमारी विकसिता मरकाम	महिदपुर (उज्जैन)
65	श्री बुदेसिंह सोलंकी	कुरवाई (विदिशा)
66	कुमारी उर्मिला चौहान	इंदौर
67	श्रीमती रूपाली उईके	डिण्डोरी
68	श्री दशरथ सिंह भिड़े	नसरूल्लागंज (सीहोर)
69	कुमारी सुनीता ताराम	लखनादौन (सिवनी)
70	श्री महेन्द्र सिंह रावत	थांदला (झाबुआ)
71	श्री विक्रम सिंह डावर	इंदौर
72	श्री सचिन कुमार जाधव	महू (इंदौर)
73	कुमारी संगीता डावर	खण्डवा
74	श्रीमती पुष्पा तिलगाम	गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर)
75	कुमारी रश्मि मण्डलोई	इंदौर
76	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत	छिन्दवाड़ा
77	श्रीमती दिव्या सिंह	बालाघाट

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. B-4503-तीन-10-40-78(आर्थिक अपराध).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक-2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-2976-तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध), दिनांक 10 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 7 के स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले)
(1)	(2)	(3)
"7	श्री रूपेश कुमार गुप्ता, इंदौर न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, इंदौर.	इंदौर, झाबुआ, धार एवं अलीराजपुर.

No. B-4503-III-10-40-78- (Economic Offences).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No. C-2976-III-10-40-78(Economic Offences) dated 10th April 2013, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 7 of the Following entry shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Presiding Officer of the Special Court	Head Quarter	Local Area (Civil Districts)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	Shri Rupesh Kumar Gupta, JMFC, Indore.	Indore	Indore, Jhabua, Dhar & Alirajpur.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (डी. ई.).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.